<u>पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ</u>

प्रेस–विज्ञप्ति

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 09 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक 05–05–2021</u>

दिनांक 04/05-05-2021 को रात्रि थाना जानकीपुरम् 02, विकासनगर 03, गोमतीनगर विस्तार 02, गुडम्बा 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **<u>इस प्रकार वांछित में कुल 09 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>**

<u>डी0सी0पी0 उत्तरी</u>

<u>अवैध ७राब के साथ गिरफ्तार</u>

<u>थाना हसनगंज</u>:-दिनांक 04-05-2021 को एस0आई0 श्री यतेन्द्र सिंह थाना हसनगंज द्वारा अभियुक्त 01-राजीव वर्मा पुत्र स्व0 रामकुमार वर्मा निवासी-498/76 चरही सराय हसनगंज थाना हसनगंज लखनऊ को सराय हसनगंज शनिदेव मन्दिर ढाल के आगे नाले के पास हसनगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक झोले में 13 अद्द क्वार्टर अवैध देशी शराब (2.6 लीटर) ऋवडीज मार्का प्लास्टिक की शीशी 200 मि0ली0 बरामद कर थाना हसनगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>डी0सी0पी0 दक्षिणी</u>

<u>अवैध ७राब के साथ गिरफ्तार</u>

<u>थाना गोसाईगंज</u>:-दिनांक 04-05-2021 को एस0आई0 श्री नीरज कुमार द्विवेदी थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01-टिावरतन पुत्र टिाव८ांकर निवासी ग्राम सिठौली कला थाना गोसाईगंज लखनऊ को ग्राम सिठौली कला गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>डी0सी0पी0 उत्तरी</u>

<u>अवैध ७राब के साथ गिरफ्तार</u>

<u>थाना गाजीपुर</u>:-दिनांक 05-05-2021 को थाना एस0आई0 श्री धर्मा कु८ावाहा थाना गाजीपुर द्वारा अभियुक्त 01-राके८ा कुमार पुत्र स्व0 हरि८ाचन्द्र निवासी टीकापुरवा गांव थाना गाजीपुर लखनऊ को अग्रवाल प्लाजा के पास पीपल के पेड़ के नीचे अरावली, गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 11 अद्द पउवा अवैध दे८ाी ७राब बरामद कर थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना गाजीपुर</u>:-दिनांक 05-05-2021 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि दिनांक 04-05-2021 को वादी श्री ओमका प्रसाद निवासी 107 प्लाट नं0 5ए संगम सिटी भूहर

हैदरगंज वार्ड थाना पारा लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि वादी वर्तमान समय में मनीष भारद्वाज पुत्र आर0एन0 शर्मा निवासी–सी 43 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ का कार ड्राईवर है, जिसमें दिनांक 03–05–2021 को समय करीब रात्रि 01.00 से 03.00 बजे के मध्य मकान का ताला तोड़कर कमरें में रखी आलमारी का लॉक तोड़कर जेवरात व 10,000/–रूपये को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 263/2021 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री धर्मा कुटावाहा द्वारा की जा रही है।